न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

ण सं0 127/2018 प्रार्थना पत्र

जगन्नाथ पिता टोडु जाति भील आयु वयस्क निवासी कोटडीकला
मांगीलाल पिता मगनीराम जी जाति चमार भील आयु वयस्क निवासी कोटडीकला
कन्हैयालाल पिता मगनीराम जी जाति चमार आयु वयस्क निवासी कोटडीकला
बद्रीलाल पिता हरीराम मेघवाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी कोटडीकला
झूण्डालाल पिता हरीराम मेघवाल जाति चमार आयु व्यस्क, निवासी कोटडीकला
– प्रार्थीगण

//बनाम//

पारस पिता बूलाल जैन आयु व्यस्क निवासी कोटडीकला
– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और से:- अधिवक्ता श्री सआदत अली उपस्थित

आदेश

दिनांक:- 31-5-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कोटडीकला प0ह0 कोटडीकला तह0 निम्बाहेडा आराजी न0 115 की आराजी न0 511 रकबा 0.1400 हे0 आराजी न0 824 रकबा 0.0100 हे0 आराजी न0 825 रकबा 0.9400 हे0, आराजी न0 826 रकबा 0.0400 हे0 आराजी न0 827 रकबा 0. 05000 हे0 कुल 5 किता रकबा 1.1800 हे0 आराजी जगन्नाथ के खातेदारी की हैं एव् खाता संख्या 246 की आराजीयात 693 रकबा 0.800 हे0 आराजी न0 749 रकबा 0.1800 हे0 आराजी न0 823 रकबा 0.4100 हे0 आराजी न 829 रकबा 0.0300 हे0 आराजी न 830 रकबा 0.1500 हे0 आराजी न 832 रकबा 0.0700 हे कुल किता 6 रकबा 0.9200 हे0 आराजी प्रार्थीगण मांगीलाल आदि की हैं । प्रार्थीगण की आराजीयात गांव कोटडीकला से पूर्वी दिशा में जो सरकारी रास्ता कोटडीकला से नयागांव जाने का हैं । उसके उत्तरदिशा में प्रार्थीगण की आराजीयात स्थित हैं । सरकारी रास्ता आराजीयात न 866 हैं और इस सरकारी रास्ते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के बीच विपक्षी पारसमल जैन की आराजी न0 860 एंव 861 स्थित हैं जो उसने कुछ समय पूर्व ही खरीद की हैं एव प्रार्थीगण की आयाजीयात पर आने जाने एंव खेती के औजार मवेशी ट्रेक्टर गाडी आदि आने जाने का एक मात्र रास्ता सरकारी रास्ते से उत्तर दिशा में आराजी न0 860 व 861 के बीच होता हुआ प्रार्थीगण की आराजीयात तक जाता हैं । प्रार्थीगण हमेशा से इसी रास्ते से आवागमन करते एंव कृषि सामान लाते लेजाते हैं । प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र कदभी रास्ता हैं । प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर आने जाने का सरकारी रास्ते कायम करना चाहता हैं जो रास्ते से 20 फीट चौडा रास्ते चाहिये जो सार्वजनिक आराजी न 866 से उत्तर दिशा में आराजी न0 860 एंव 861 के बीच दिलाया जावें । आराजी न0 860 व 861 के बीच का रास्ता कदीम का पुराना होकर प्रार्थीगण की आराजीयत पर आवागमन का एव कृषि औजार सामान लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

जिसे प्रार्थीगण हमेशा से ही उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु विपक्षी पारस की नियम में बदनियत आई जो आये दिन प्रार्थीगण को रास्ते से आगमन से रोक टोक करता हें तथा विवाद करता हैं नाजायज परेशान करता हैं पूर्व में भी सन् 2015 व 2017 में विपक्षी के विरूद्ध शिकायत आदि की गई थी। उस समय का पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के आदेश से मौका देखकर पंच नामा बनाया था एंव तहसीलदार साहब व उपखण्ड अधिकारी महोदय ने विपक्षी को रास्ता नही रोकने बाबत पाबन्द किया था किन्तु विपक्षी नही मान रहा हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से आराजी ग्राम कोटडीकला से नयागांव की तरफ जाने वाले रिकार्डेड रास्ते आराजी नम्बरा 866 के उत्तर दिशा में आराजी न0 860/0.90 एंव 861/0.51 हे जो कि खातेदार श्री पारसमल पिता बाबूलाल जैन के नाम दर्ज रिकार्ड हैं स्वंय कब्जे काश्त हैं । उपरोक्त आराजी नम्बर 861/0.51 हे0 के पश्चिम दिशा में एक रास्ता मौके पर तदीजी होकर आने जाने के काम आता हैं । उपरोक्त खातेदारी में दर्ज रास्ता कई वर्षो से चल रहा है परन्तु प्रार्थीगण का कहना हैं कि गत वर्ष अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को रोक दिया था जिस वजह से प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने एंव फसल काटने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड रहा हैं जिसकी वजह से प्रार्थीगण द्वारा धारा 251 ए के तहत वाद दायर किया गया था । उक्त रास्ते के उत्तर दिशा में लगते हुए प्रार्थी श्री जगन्नाथ पिता टोडू भील आराजी 825/0.09, 826/0.04, 827/0.05 एवम् झूण्डालाल, खेमराज पिता हरीराम के आराजी 828/0.04, 831/0.33, 833/0.14 श्रीबद्रीलाल पिता मगनीराम मेघवाल की आराजी 1033/823 रकबा 0.42, 1094/832 रकबा 0.06, श्री मांगीलाल पिता मगनीराम मेघवाल के आराजी न0 823/0.04, 829/0.039 830/0.15, 832/0.07 स्व श्रीकन्हैयालाल पिता मगनीराम मेघवाल के आराजी न0 1092/832 रकबा 0.06 उपरोक्त सभी आराजीयात के खातेदार उक्त रास्ते से ही अपनी-अपनी आराजीयात में आते जाते हैं । समस्त प्रार्थीगण आराजी नम्बर 861 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ करीब 4 मीटर चौडा एवं 92 मीटर लम्बा रास्ता चाहते है। 4*92 कुल 368 वर्ग मीटर का डी0एल0सी रेट के अनुसार राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता दिया जाना उचित है। । अतः जांच रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही आदेशार्थ पेश हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई अन्य कोई वैकल्पीक मार्ग नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिये जाता है कि ग्राम कोटडीकला की आ0न0 861 में कुल 368 वर्ग मीटर भूमि डी0एल0सी की दर से गणना करते हुए विपक्षी के नाम चैक जमा कराये जाने पर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 21 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड (अधिकारी)
निम्बाहेड़ा